न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 28/2019

दायर दिनांक: 06.09.2019

निर्णय दिनांक 13.02.2026

—: अनवान :—

सुशीला पुत्री गोपालदास जी, पत्नी श्यामसुन्दर जी, जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नाथद्वारा हाल निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर

—— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
2. नवीन पिता लक्ष्मीकान्त, जाति ब्राह्मण, निवासी मन्दिर पीछे परिकमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. महेशचन्द्र पिता लक्ष्मीकान्त, जाति ब्राह्मण, निवासी मन्दिर पीछे परिकमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. श्रीमती कमला पत्नी लक्ष्मीकान्त, जाति ब्राह्मण, निवासी मन्दिर पीछे परिकमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी गोपालदास जी, जाति गुर्जर गौड़ ब्राह्मण, निवासी 1/65 हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 14 उदयपुर (मृतक से नाम डिलीट)
6. आशीष पिता श्यामसुन्दर, जाति ब्राह्मण, निवासी 1/65 हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 14 उदयपुर
7. अमित पिता श्यामसुन्दर, जाति ब्राह्मण, निवासी 1/65 हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 14 उदयपुर

—— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1087 स्वीकृत दिनांक 20.12.1996 पारित द्वारा तहसीलदार नाथद्वारा से व्यथित होकर। अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः–

1. श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04
4. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 07

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1087 दिनांक 20.12.1996 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा, पटवार क्षेत्र नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में आराजियात खाता संख्या 706 खसरा संख्या 2186 से लगायत 2202 कुल किता 17 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिश्वा स्थित है। अपीलान्ट एवं रेस्पोण्डेट्स संख्या 2 से लगायत 5 तक का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है :–

गोपालदास

लक्ष्मीकान्त — सुन्दरबाई — सुशीला

लक्ष्मीकान्त: नवीन — महेश — कमला

वादग्रस्त आराजियात कृषि भुमि अपीलान्ट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 5 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं हक अधिकार की है जो पूर्व में अपीलान्ट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 5 के मूल पुरूष गोपालदास के नाम पर थी और उनके देहान्त के पश्चात् विरासत से प्राप्त हुई है। अपीलार्थी पुत्री एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता/पति लक्ष्मीकान्त के पुत्र एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 पत्नी है जो गोपालदास जी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम अनुसूची के वारिस हैं। गोपालदास जी की सम्पत्ति में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता/पति लक्ष्मीकान्त एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का समान समान हक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि गोपालदास जी के नाम पर दर्ज रही है

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जिसका विरासत का नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलार्थी गोपालदास जी की पुत्री होते हुए भी उसका नाम उक्त भूमि में दर्ज नहीं किया गया। गोपालदास जी का पटवारी हल्का ने कोई सजरा भी नहीं बनाया है न ही वारिसान के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाया गया है। अपीलार्थी गोपालदास जी की पुत्री होते हुए भी उसका नाम उक्त नामान्तरण में अंकित नहीं किया गया है। गोपालदास जी की अपीलार्थी पुत्री होकर विधिक वारिस उत्तराधिकारी है उसकी भुमि गलत रूप से रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 4 के पूर्वाधिकारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम पर दर्ज करने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी का नाम पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की वारिस हैं लेकिन उसका नाम उक्त नामान्तरण में दर्ज नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि में उसका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पूर्वाधिकारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समान ही हक अधिकार निहित है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अपीलांट् को उक्त मामले में कभी सुना ही नहीं गया है, बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नामान्तरकरण फैसल किया गया है, अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 1087, स्वीकृत दिनांक 20.12.1996 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 की ओर अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 07 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भुमि अपीलान्ट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 5 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं हक अधिकार की है जो पूर्व में अपीलान्ट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 5 के मूल पुरूष गोपालदास के नाम पर थी और उनके देहान्त के पश्चात् विरासत से प्राप्त हुई है। अपीलार्थी पुत्री एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता/पति

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लक्ष्मीकान्त के पुत्र एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 पत्नी है जो गोपालदास जी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम अनुसूची के वारिस हैं। गोपालदास जी की सम्पत्ति में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता/पति लक्ष्मीकान्त एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का समान समान हक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि गोपालदास जी के नाम पर दर्ज रही है जिसका विरासत का नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलार्थी गोपालदास जी की पुत्री होते हुए भी उसका नाम उक्त भूमि में दर्ज नहीं किया गया। गोपालदास जी का पटवारी हल्का ने कोई सजरा भी नहीं बनाया है न ही वारिसान के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाया गया है। अपीलार्थी गोपालदास जी की पुत्री होते हुए भी उसका नाम उक्त नामान्तरण में अंकित नहीं किया गया है। गोपालदास जी की अपीलार्थी पुत्री होकर विधिक वारिस उत्तराधिकारी है उसकी भुमि गलत रूप से रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत 4 के पूर्वाधिकारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम पर दर्ज करने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी का नाम पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की वारिस हैं लेकिन उसका नाम उक्त नामान्तरण में दर्ज नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि में उसका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पूर्वाधिकारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समान ही हक अधिकार निहित है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अपीलांट् को उक्त मामले में कभी सुना ही नहीं गया है, बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नामान्तरकरण फैसल किया गया है, अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 1087, स्वीकृत दिनांक 20.12.1996 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 1087, स्वीकृत दिनांक 20.12.1996 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिस वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में जारी नामान्तरण संख्या 1987 दिनांक 20.12.1996 को निरस्त कराने की सहायता चाही हैं। उसी वादग्रस्त सम्पत्ति

के संबंध में अपीलार्थी के पुत्र एवं हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट 06 व 07 के पक्ष में सम्पादित दानपत्र को अवैध एवं शुन्य घोषित कराये जाने का एक वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश नाथद्वारा में विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 09/2018 हैं। तथा इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट 06 व 07 द्वारा इसी वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में घोषणा का एक वाद माननीय सहायक कलक्टर महोदय नाथद्वारा में भी विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 69/2025 हैं। अन्य न्यायालयो में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 सपठित धारा 151 से बाधित होने से उक्त अपील को अस्वीकार खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में जो नामान्तरण तात्कालिक समय में खोला गया है व नियमानुसार ही खोला हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 ने अपनी बहस में अन्य न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरण का जो जिक्र किया है उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नही हैं। और यदि प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नही हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1987 दिनांक 20.12.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सर्वप्रथम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 सपठित धारा 151 की बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने अपनी बहस मे स्वय ने ही कर दिया हैं। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 सपठित धारा 151 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1987 दिनांक 20.12.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। मूल खातेदार श्री गोपाल दास पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास की मृत्यु के पश्चात, उनकी कृषि भूमि का नामांतरण केवल उनके पुत्र श्री लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी श्रीमती सुंदर बाई के नाम पर कर दिया गया था। अपीलार्थीया श्रीमती सुशीला देवी, जो कि मृतक श्री गोपाल दास की पुत्री हैं, का नाम इस नामांतरण में सम्मिलित नहीं किया गया था। उन्हें भूमि के हिस्से से वंचित रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी का कहना है कि नामांतरण वर्ष 1996 में हुआ था, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन वर्ष 2005 में हुआ। अतः पुत्री को सह–दायिक (Coparcener) नहीं माना जा सकता। किन्तु हिन्दु उत्तराधिकार

वर्तमान में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिनियम की धारा 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सह–दायिकी (Coparcenary) संपत्ति में पुत्रियों के समान अधिकार होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी हिन्दु पुरुष की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियमों में यह उल्लेखित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री भी पुत्र के समान ही प्रथम श्रेणी (Class-I) की उत्तराधिकारी हैं, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज न करना कानूनन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को संशोधित कर पुत्री का नाम रिकॉर्ड में जोड़ा जाना न्यायोचित होगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1087 दिनांक 20.12.1996 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार देलवाडा को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)